विवाह अनुज्ञापन हेतु
(वर की ओर से)
जब पक्षकार अविवाहित हों

-: शपथ पत्र :-

(धारा 04 विशेष विवाह अधिनियम 1954 के परिपालन में प्रस्तुत)

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूं कि:-

मेरा नाम:-

पिता का नाम:-

माता का नाम:-

जन्मतिथि :- आवेदन दिनांक को आयु :-

व्यवसाय:-

जाति:-

स्थायी पता:-

स्थानीय पता :-

1. यह कि मै वर्तमान में अविवाहित हूं । पूर्व मे मेरी किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रही है ।

2. यह कि मैंने आवेदन दिनांक को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है । मेरी वर्तमान आयु ....वर्ष है ।

3. यह कि मैं कु0...(नाम) जिनके पिता ....माता..............................जन्मतिथि..............................
..............व्यवसाय..जाति..
.........स्थायीपता..स्थानीयपता............................
......................है, के साथ विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित करना चाहता हूं।

4. यह कि मै भारत का नागरिक हूं और नगर/ ग्राम में ....दिनों /वर्षों से निवास कर रहा हूं।

5. यह कि मेरे और कु0..के बीच विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 2 (ख) अधिसूचित अन्तर्गत भाग 1 एंव भाग 2 में वर्गीकृत किसी प्रकार की प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है।

6. यह कि मै चित विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं हूं।

7. यह कि मैं विधिमान्य सम्मति देने मे समर्थ होने के साथ साथ इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीडित नहीं रहा हूं।

8. यह कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है ।

9. यह कि यह मेरा प्रथम विवाह है । मेरे द्वारा विवाहों के अनुष्ठान संबंधी किसी अन्य प्रवृत विधि /परंपरा के अन्तर्गत पूर्व में कोई विवाह अनुष्ठापित नहीं किया गया है ।

10. यह कि मेरे विवाह अनुष्ठापित के संबंध में मेरे माता पिता एंव परिजनों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है ।

11. यह कि मै द्वितीय पक्षकार कु0..................................को साक्षियों की उपस्थिति में अपना विधिपूर्ण जीवन साथी (पत्नी) स्वीकार करने के लिए पूर्णतः सहमत एंव तत्पर हूं।

12. यह कि मै पूर्णतः स्वस्थ, वयस्क एंव निर्णय लेने में समर्थ होकर पूरे होशो हवास में यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। शपथ पत्र में मेरे द्वारा वर्णित प्रत्येक जानकारी एंव तथ्य पूर्णतः सत्य है । शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की मिथ्या घोषणा प्रमाणित होने पर मैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 एंव भारतीय दंड दंडिता के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत दंड का भागी होउगा ।

इन्दौर, दिनांक

शपथग्रहिता

सत्यापन लेख

उपरोक्त शपथ पत्र पैरा 1 से लगायत 12 तक का कुल कथन सत्य एंव सही है । इसमें कोई भी कथन न तो असत्य है ना ही छिपाया गया है और ना ही गलत जानकारी दी गई है ।

इन्दौर, दिनांक

शपथग्रहिता